

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—11/2023 (2023/167) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—राजेश पिता भंवरलाल कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :- तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केमुनिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 2320/2187 रकबा 0.27 है0 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 2288/2188 रकबा 1.1650 है0 मे से रकबा 0.01 है0 भूमि (यानि 100 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएलसी दर 297276/—रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 2973/—रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 5946/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 14.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(नेहा छीपा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

